संचिका संख्याः–15/सी 2–223/11 अंश

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
राज्य के सभी विश्वविद्यालय।

पटना, दिनांक 2013

विषयः– माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा अवमाननावाद संख्या–1788/11 में विभिन्न तिथियों को पारित न्यायादेश के आलोक में प्रयोगशाला से जुड़े कर्मियों को जो विधिवत् रूप से स्वीकृत पदों पर नियमित रूप से नियुक्त होकर कार्यरत हैं तथा जिन्हें पूर्व में प्रयोग प्रदर्शक के रूप में पदनामित किया गया था को, षष्टम पुनरीक्षित वेतन संरचना में शिक्षकेत्तर कर्मियों के रूप में रू0 9300–34800/– के वेतन बैंड में ग्रेड पे–रू04200/– औपबंधिक रूप से अनुमान्य किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार अंकित करना है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा अवमाननावाद संख्या–1788/11 में विभिन्न तिथियों को पारित न्यायादेश के आलोक में प्रयोगशाला से जुड़े शिक्षकेत्तर कर्मियों को जो नियुक्ति के समय संबंधित विषयों में स्नातक की योग्यता धारित करते हैं तथा जो विधिवत रूप से स्वीकृत पदों पर नियमित रूप से नियुक्त होकर प्रयोगशाला संचालन से संबंधित कार्यों का सम्पादन निरंतर रूप से कर रहे हैं और उनकी सेवा में किसी प्रकार की टूट नहीं है, को औपबंधिक रूप से, अपुनरीक्षित वेतनमान रू 5500–9000/– के आधार पर सप्तम पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01.01.06 के प्रभाव से वैचारिक रूप से तथा दिनांक 01.04.07 से वास्तविक रूप से वेतन बैंड रू0 9300–34800/– में ग्रेड–पे रू0 4200/– कुल रू0 56,66,02,038/– व्यय भार के आधार पर निम्नांकित शर्त्तों एवं बंधेजों के साथ अनुमान्य किया जा रहा हैः–

(i) कि अगर इस संबंध में विचाराधीन याचिका संख्या–12967/2012 अथवा राज्य सरकार की ओर से दायर किये गये/दायर किये जाने वाले एल०पी०ए० में माननीय उच्च न्यायालय, पटना या इससे संबंधित वादों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई भी अन्यथा आदेश होता है तो उसके फलाफल से विभागीय संकल्प संख्या–608 दिनांक 10.04.2012 में संसूचित निर्णयों के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अंकेक्षकों के द्वारा अनुमान्यता की समीक्षा किये जाने की स्थिति में इस मद में अधिक भुगतान की गयी राशि वसूलनीय होगी तथा वसूली सुनिश्चित की जाएगी।

(ii) उपर्युक्त शर्तों एवं बंधेजों को पूरा करने वाले प्रयोगशाला कर्मियों के वास्तविक वेतन भुगतान शुरू किये जाने के पूर्व उनसे संबंधित सभी प्रमाणिक कागजात/अभिलेख की समीक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा के स्तर पर गठित कमिटी के द्वारा किया जायगा ताकि उसके आधार पर अतिरिक्त राशि प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत किया जा सके। इस क्रम में विभागीय संकल्प संख्या–2693 दिनांक–27.08.2010 के अधीन निर्धारित अन्य शर्तें एवं बंधेज पूर्ववत् प्रभावी रहेंगे।

2. उपर्युक्त भुगतान के सन्दर्भ में राशि का अंकेक्षण सक्षम प्राधिकार द्वारा किये जाने अथवा विभागीय वेतन निर्धारण कोषांग द्वारा राशि की अनुमान्यता निर्धारित किये जाने के क्रम में यह पाये जाने पर कि इस मामले में विभाग द्वारा वर्तमान या पूर्व में निर्गत पत्रों तथा संकल्पों में अंकित शर्तों एवं बंधेजों का विश्वविद्यालय अधिकारियों तथा संबंधित कर्मचारियों द्वारा अनुपालित नहीं किया गया है तो उक्त स्थिति में अनुमान्यता से अधिक भुगतान की गयी राशि पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा–35(3) तथा 52 (6) तथा अन्य विश्वविद्यालयों के मामले में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–35 (3) एवं 52 (5) के अधीन भुगतान से संबंधित विश्वविद्यालय अधिकारियों एवं कर्मचारियों से पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के अधीन वसूलनीय होगी तथा वसूली सुनिश्चित की जाएगी।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(सुनील कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–15/सी 2–223/11 अंश–1893 पटना, दिनांक 22/10/13

प्रतिलिपिः– उप शिक्षा निदेशक, शिक्षा विभाग/कुलसचिव, राज्य के सभी विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली/अवर सचिव, शिक्षा विभाग/ प्राचार्या, राजकीय महिला महाविद्यालय, गुलजारबाग/गर्दनीबाग पटना/ संबंधित पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/महासचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्नातक प्रयोगशाला सहायक/ कनीय प्रयोगशाला सहायक/ प्रयोगशाला प्रभारी/ प्रयोगशाला तकनीशियन/तकनीकी सहायक संघर्ष समिति, बिहार, पटना तथा स्नातकोत्तर विभाग, बिहार के सभी विश्वविद्यालय/संबंधित अंगीभूत एवं अल्पसंख्यक महाविद्यालय के प्राचार्य/वित्त पदाधिकारी, राज्य के सभी विश्वविद्यालय/महामंत्री, बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ/अध्यक्ष, बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ/संबंधित सभी संघ के अध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/10/13

(सुनील कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

22/10/13